निष्पादन बजट वर्ष 2018-19

विभाग- श्रम विभाग

विभागाध्यक्ष- आयुक्त,श्रम छत्तीसगढ़

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2018-19	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियां
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	हाईजिन प्रयोगशाला की स्थापना	खतरनाक एवं गैर खतरनाक कारखानों में कार्यरत श्रमिकों को स्वस्थ्य वातावरण उपलब्ध कराना	10490	चयनित खतरनाक कारखानों की जांच हेतु प्रयोगशाला स्थापित	स्थापना व्यय	4770	
2.	बाल श्रमिक सर्वेक्षण	बाल श्रमिकों का सर्वे कराना।	4490	बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु सर्वेक्षण कराना	-		केन्द्र प्रवर्तित पुनरीक्षित बाल श्रमिक पुनर्वास योजना 2016 दिनांक 01 अप्रैल 2016 से प्रभावशील है । नवीन योजनांतर्गत पुनर्वास संबंधी सम्पूर्ण राशि केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाना है, जिसमें राज्य शासन का कोई Maching Contribution नही है ।
3.	बाल श्रमिको का पुनर्वास	चिन्हित बाल श्रमिकों का पुनर्वास किया जाना	600	चिन्हित बाल श्रमिकों का पुनर्वास	-		
4.	बंधुवा मजदूरो का पुनर्वास	बंधक श्रमिकों को मुक्त कर पुनर्वास करने की योजना ।	36000	3437 बंधक श्रमिकों का पुनर्वास किए जाने का लक्ष्य ।	-	8095	वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 के विमुक्त बंधक श्रमिकों को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग की अनुमति/निर्देश से पूर्व योजनांतर्गत प्रति श्रमिक 40000/- के मान से राज्यांश राशि बंधक श्रमिक पुनर्वास सहायता राशि आबंटित किया गया है । अन्य राज्यों से बंधक श्रमिकों को विमुक्त कराकर उनके गृहग्राम तक पहुँचाये जाने हेतु संबंधित जिला कलेक्टरों द्वारा समय-समय पर राशि मांग किये जाने पर आकस्मिक व्यय मद से राशि का आबंटन किया गया है ।

निष्पादन बजट वर्ष 2018-19

विभाग- श्रम विभाग

विभागाध्यक्ष- आयुक्त,श्रम छत्तीसगढ़

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2018-19	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियां
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
							योजना के प्रावधानानुसार 08 जिलों को प्रति 10 लाख के मान से राशि आबंटित की गई है । जिनमें से 03 जिलें द्वारा राशि का आहरण किया गया है एवं शेष 05 जिलों द्वारा राशि का आहरण नही किये जाने के कारण राज्य शासन को समर्पित हो गई है।
5.	बीड़ी श्रमिकों के लिए आवास गृह योजना	बीड़ी श्रमिकों के लिए आवास गृहों का निर्माण कराना	10000	बीड़ी श्रमिकों के लिए 500 आवास गृह निर्माण का लक्ष्य, जिससे 788 लाभन्वित होने का अनुमान	-		केन्द्र प्रवर्तित पुनरीक्षित बीड़ी श्रमिक आवास योजना 02 मार्च 2016 से प्रभावशील है । आवास निर्माण की सर्म्पूण लागत सरकार क्षरा दिया जाना है, जिसमें राज्य शासन का कोई Maching Contribution नही है ।
6.	असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण	असंगठित कर्मकारो का पंजीयन एवं विभिन्न योजनान्तर्गत लाभ पहुचाना	292500	228599 हितग्राही पजीकृत किये जाने का लक्ष्य	427259 हितग्राही पजीकृत	254473	
7.	असंगठित सफाई कर्मगार कल्याण मंडल	असंगठित सफाई कर्मकार कल्याण मंडल को अनुदान	100000	19900 कर्मकार एव उनके परिवार लाभन्वित होंगे ।	55518 कर्मकार एवं उनके परिवार	33746	
8.	ठेका मजदूर घरेलू कामकाजी महिला एवं हमाल कल्याण मंडल	ठेका मजदूर, घरेलू कामकाजी महिला एवं हमाल के कल्याण हेतु अनुदान	100000	51800 ठेका श्रमिक घरेलू कामगार महिला को लाभ पहुँचानें का लक्ष्य	11488 लाभान्वित	61341	

निष्पादन बजट वर्ष 2018-19

विभाग- श्रम विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक,कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2018-19	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियां
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राज्य बीमा अस्पताल की स्थापना	बीमित श्रमिकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नये औषधालय की स्थापना	502136	31 औषधालय कार्यरत है। 05 अतिरिक्त नवीन औषधालय को आरंभ करने के चिकित्सा प्रबंध पूर्ण किये जा रहे है। इस वर्ष 25000 अतिरिक्त बीमित श्रमिकों एवं उनके परिवारों को चिकित्सा हितलाभ दिया जाना ।	02 नए औषधालय आरंभ किये गये । कार्यरत औषधालयों की संख्या 33 हो गई है । राज्य में बीमितों की संख्या लगभग 6 लाख हो गई है ।	312183	बीमितों तथा उनके परिजनों का गंभीर बीमारियों की स्थिति में कैशलेस आधार पर उपचार किया गया ।
2	कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय	बीमित हितग्राहियो को विशेषज्ञ तथा विशेष चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराना	325635	रायपुर में एक डायग्नोस्टिक सेंटर कम इमरजेंसी सेंटर का संचालन	9 औषधालय एवं 01 डायग्नोस्टिक सेन्टर कम इमरजेंसी सेन्टर कार्यरत	244011	बीमित हितग्राहियों को विशेष चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करायी गई